तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील संख्या 72/2023** **अनवान किशनाराम के का.मु. बनाम निम्बाराम के का. मु.**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.05.2025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट्स की ओर से पूर्व में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो दिनांक 31 जनवरी 2023 को स्वीकार की गई। अपीलांट्स द्वारा कांउटर क्लेम की पृथक से अपील प्रस्तुत नहीं की गई थी। इस कारण काउंटर क्लेम के विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे। जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध पूर्व में प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपास्त किये जा चुके है। ऐसी स्थिति में वर्तमान अपील चलने योग्य नहीं है। अतः प्रस्तुत अपील खारिज फरमायी जावे। उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अदालत हाजा द्वारा अपील संख्या 2022/18 अनवान किशनाराम के कायम मुकाम मांगाराम व अन्य बनाम निंबाराम के कायम मुकाम भेराराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31 जनवरी 2023 के मुताबिक अदालत हाजा द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जा चुके है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद एवं कांउटर क्लेम को एक ही निर्णय में निर्णित किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपील संख्या 166/2018 अनवान श्रीमती इकबाल बानों बनाम रमेश इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 12.09.2018 में धारित किया है कि दावे एवं काउंटर क्लेम की एक ही अपील पोषणीय है। ऐसी स्थिति में अदालत हाजा द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध पूर्व में प्रस्तुत अपील को निर्णित किया जा चुका है। ऐसी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील संख्या 72/2023** **अनवान किशनाराम के का.मु. बनाम निम्बाराम के का. मु.**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	स्थिति में निर्णय की एकरूपता हेतु प्रस्तुत अपील पूर्व अपील में पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में निस्तारित की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सूचनार्थ आदेश प्रति भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर	